ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–19/23–24

महेन्द्र पोद्दार वगै0 बनाम् निर्मल साह वगै0

19.08.2023

–:आदेश:–

वर्त्तमान वाद आवेदक महेन्द्र पोद्धार, पे0–स्व0 भारथ पोद्धार, संयुक्ता देवी, पति–महेन्द्र पोद्धार, सा0–खरखोदिया, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–खरखोदिया नं0–95, जमाबंदी नं0–53, दाग नं0–164 के अंदर रकवा–00–02–07 धूर एवं रकवा–00–03–00 धूर भूमि से विपक्षीगण निर्मल साह, नंदकिशोर साह, दोनों पे0–चमकलाल साह उर्फ चुल्हाई साह, सा0–खरखोदिया, किशोर साह, पे0–लखेन्द्र साह, सा0–चपरी, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। तदुपरांत मध्यस्थकर्त्तागण के तौर पर राम पोद्दार एवं कैलाश पौद्धार के द्वारा न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया।

उभय पक्ष एवं मध्यस्थकर्त्तागण के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–460/रा0, दिनांक–18.08.2023 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रथम पक्ष एवं मध्यस्थकर्त्तागण के बीच आपसी बंटवारा को लेकर स्वत्व निर्धारण तथा बंटवारा संबंधी विवाद है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से संभव है। विपक्षीगण द्वारा जबरन प्रासंगिक भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

19.08.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

19.08.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen Bande Kumar Singh Adv 12/09/23

Uttam Kr Verma Adv. 12/9/23

12/9/23

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 15:25:57 +05:30
Location: 192.168.1.33